<u>प्रथम सूचना रिपोर्ट</u>

1.जिला गुडगांव　　थाना एस.वी.बी　　वर्ष 2014　　प्र.सू.रि.स 01　　दिनांक 11.01.2014

2.अधिनियम　　पी.सी एक्ट　　धाराएं 7/49/88 पी.सी एक्ट

अन्य अधिनियम एंव धाराएं – – – – – –– –

3.(क) घटना का दिन　शनिवार　　दिनांक　से　दिनांक 11.01.2014

(ख) थाने पर प्राप्त सूचना　　दिनांक 11.01.2014　　समय 7.00 पी0एम

(ग) (रोजनामचा संदर्भ)　　(प्राविष्टि संख्या) 9　　समय 7.10 पी0एम0

4. (सूचनाकैसे प्राप्त हुई) बजरिया सपैशल मैसेंजर　　(लिखित/मौखिक) :　　लिखित

5. घटना स्थन का ब्यौरा　(क) (थाने से दिशा एंव दूरी)　जानिब दक्षिण– पश्चिम लगभग 100–110 कि0मी0

(ख) पता :

(ग) (यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो, तब उस) (उस थाने का नाम) सीटी थाना नारनौल　जिला नारनौल।

6. (शिकायतकर्ता/इतला देने वाला) :–

(क) माहित उर्फ गुल्लू　　(ख) (पिता/पति का नाम) श्री सत्यपाल यादव

(ग) (जन्म तिथि)　　(घ)　(राष्ट्रीयता) भारतीय

(ड) पासपोर्ट सं0

(जारी करने की तिथि)　　(जारी करने का स्थान)

(च) (व्यवसाय) दुकानदार　　(पता) मोहित पुत्र सत्यपाल यादव निवासी केशव नगर, सिघांना रोड नारनौल

7. (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण)

1. सिपाही मुकेश कुमार थाना सीटी नारनौल।
2. सिपाही मुकेश कुमार थाना सी0आई0ए0 नारनौल।

इस समय एक तहरीर हिन्दी हस्ताक्षरी श्री कुलवन्त सिंह निरीक्षक कार्यालय राज्य चौकसी ब्यूरो, उप केन्द्र नारनौल बदस्त सिपाही उदयवीर न0 425/नारनौल बराये कायमी मुकदमा थाना हजा में॰पाप्त हुई जिसका विषय इस प्रकार है :– सेवा में श्रीमान ईन्सपैक्टर साहब, स्टेट विजिलैंस नारनौल , श्री मान जीम॰ मोहित उर्फ गुल्लू पुत्र सत्यपाल यादव जाति अहीर निवासी मोहल्ला केशव नगर गली न0 4 सिघाना रोड, नारनौल का रहने वाला हूँ। मैने 5 महीने पहले बीर सिंह पुत्र छाजूराम, गांव मई जिला महेन्द्रगढ से एक दुकान केशव नगर में opp. Tata Mortors Singhana Road Narnaul में किराये पर मौखिक तौर पर ले रखी है और इस दुकान में मैने व मेरे दोस्त दीपक पुत्र श्री ओम प्रकाश केशव नगर गली न0 3 ने आपस में मिलकर Goddies chikan please खोल रखा है और इस दुकान के नाम से मैने और मेरे दोस्त ने विजिलैंस कार्ड भी बनवा रखा है। इस दुकान पर पब्लिक के व्यक्ति खाना द चिकन खाते है। मैने अपने होडल में कोई गैर कानूनी काम नही करता । थाना शहर के एस0एच0ओ0, एस0आई0 हरि ओम हमारे दुकान पर पहले माह में आये थे उसने हमारे से मैन्थली के रूप में 3000/–रु प्रति माह के हिसाब से रिश्वत के मांगे थे जो हमने उसको उस समय नही दिये उसके बाद सिपाही मुकेश जो एस0एच0ओ0 शहर का ड्राईवर है, मेरे पास आया था और कहा कि केशव नगर में मैने रोड पर चिकन कार्नर की दुकान चलानी है तो एस0एच0ओ0 साहब के अनुसार 3000/–रु के हिसाब से मैन्थली देनी होगी। मैन्थली नही दी तो पतीले फैकं दूगां और झूठा केस बनवाकर अन्दर कर दूगां। जो अब सिपाही मुकेश कुमार बार–2 फोन पर मैन्थली 3000/– के हिसाब से

दो महीने की 6000/–रु मांगता है जिसकी कॉल रिकार्डिंग भी है। जो मै आपको पेश कर दूगां और मुकेश सिपाही व एस0एच0ओ0 शहर हरीऔम से मेरी कोई जाति दुश्मनी नही है और ना ही कोई लेन–देन है व सी0आई0ए0 स्टाफ नारनौल में कार्यरत सिपाही मुकेश जो किस पद पर है मुझे मालूम नही है वह भी मेरे होटल पर आता है और मैन्थली के पैसे मांगता है और कहता है कि 3 महीने की मैन्थली 10,000/–रु इक्कठी मांगता है और कहता है कि अगर मैन्थली नही दी तो तुम्हारा होटल बन्द करवा दूगां। मुझे सी0आई0ए0 के स्टाफ मुकेश से व अन्य स्टाफ से कोई जाति दुश्मनी नही है और ना ही कोई लेन–देन है। उपरोक्त को मै कोई रिश्वत की राशी नही देना चाहता। लेकिन रिश्वत की राशी नही दूगां तो नाजायज तंग करेंगें कृपया करके इनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जावें। हस्ता अग्रेजी मोहित उर्फ गुल्लू निवासी केशव नगर गली न0 4 सिघाना रोड नारनौल। फोन न0 9050504813, 7206177377 दिनांक 11.01.2014. कार्यवाही पुलिस :– आज मन निरीक्षक मय निरीक्षक कृष्ण कुमार व अन्य मुलाजमान के हाजिर कार्यालय राज्य चौकसी ब्यूरो, उप केन्द्र नारनौल हाजिर हूँ कि मोहित यादव उपरोक्त ने हाजिर कार्यालय आकर मन निरीक्षक के सम्मुख एक लिखित दरखास्त पेश की जो दरखास्त हजा से सरेदस्त जुर्म 7 पी0सी0 एक्ट का सरजद होना पाये जाने पर तहरीर हजा बराये कायमी मुकदमा बदस्त सिपाही उदयवीर न0 425/नारनौल के अरसाल थाना है। बाद कायमी मुकदमा नम्बर पर्चा से सूचित किया करें तथा स्पैशल रिपोर्ट बजरिया स्पैशल वाहक, ईलाका मैजिस्ट्रेट व अफसरानबाला की सेवा में भेजी जावे। मन निरीक्षक मय ए0एस0आई0 बाबूला न0 1/32, ए0एस0आई0 प्रकाश चन्द्र 258/हिसार, ए0एस0आई0 गजराज सिंह 275/गुडगांव, ए0एस0आई0 दयानन्द न0 47/रेवाडी वा सवारी गाडी न0 एच0आर068–8351 मय चालक ई0ए0एस0आई0 अमर सिंह 483/नारनौल के मय मुदई मय तफतीशी बैग के बराये अनुमति काय्रलय नारनौल का होता हूँ। हस्ताः अग्रेजी कुलवन्त, निरीक्षक राज्य चौकसी ब्यूरो उप केन्द्र नारनौल अजथाना :– आमदा तहरीर पर मुकदमा हजा का जुर्म मजकूर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट की पांच प्रतियां बजरिया कार्बन एक ही समय में चाक की गई जो सेवा में अफसरानबाला भेजी जावेगी। एक पर्त प्रथम सूचना रिपोट बतौर स्पैशल रिपोर्ट सेवा में ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब नारनौल बजरिया स्पैशल मैसन्जर आरिन्दा सिपाही उदयवीर भेजी जा रही है। नकल मिसल पुलस मय आमदा तहरीर भी मौका पर पहुचाने हेतु इसी आरिन्दा सिपाही के हवाले की गई।

हस्ता अंग्रेजी/– जगदीश चन्द्र नि0
थाना प्रभारी का नाम

नाम : जगदीश चन्द्र
पद : निरीक्षक
सख्यां : 141/एच0ए0पी0
दिनांक 11.01.2014 समय 09.00 पी.एम